

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.जयपुर

क्रमांक:-जजिदुससं/प्र.सं./2014/

7216-38

दिनांक:- 27.06.2014

28

कार्यालय आदेश


समस्त प्रकार के कैपिटल आईटम को क्रय करने से पूर्व निम्न हस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति आवश्यक होगी। कैपिटल आईटम की कीमत यदि Delegation of power में दी गयी राशि से कम है तो भी निम्नहस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति आवश्यक होगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाये।

  
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्धक (संयंत्र) / पी.एण्ड.आई / ए.पी.एस. / अभि. / गु.नि. / पी.एण्ड.ए.
2. उप प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) / मुख्यालय / विपणन / स्टोर / घी-पनीर / प्रोसेस / एफ.ओ.पी. / एफ.जी.एस. / एफ.पी.एस. / प्रीपैक / यातायात / क्रय बीएमसी
3. सहायक प्रबन्धक (प्रचार) / प्रशिक्षण
4. उप रजिस्ट्रार
5. कार्यालय आदेश / रक्षित पत्रावली
6. नोटिफाई बोर्ड एक व दो

  
प्रबन्ध संचालक